

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर(भीलवाडा)

जयराम पिता मोहन मीणा नि. ओडिया खेडा

बनाम

गणपत पिता सोनाथ नाथ नि. ओडिया खेडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 469/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
31 .05.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ओडियाखेडा प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 656/526 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आ.न. 332 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आ.न. 574/465 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, आ.न. 628/465 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आ.न. 472/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आ.न. 530/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर आ.न. 531 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, आ.न. 228 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आ.न. 231 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आ.न. 380 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, आ.न. 543/522 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, तथा आ.न. 206/3, 214/5, 217/2, 218/2, 232/2, 242/2, 256, 256, 258/2, 331/2, 45122, 452, 575/465, 686/432 कुल किता 13 रकबा 3.1808 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम ओडियाखेडा प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 656/526 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आ.न. 332 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आ.न. 574/465 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, आ.न. 628/465 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आ.न. 472/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आ.न. 530/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर आ.न. 531 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, आ.न. 228 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आ.न. 231 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आ.न. 380 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, आ.न. 543/522 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, तथा आ.न. 206/3, 214/5, 217/2, 218/2, 232/2, 242/2, 256, 256, 258/2, 331/2, 45122, 452, 575/465, 686/432 कुल किता 13 रकबा 3.1808 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000— रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 31.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक/रीडर/2023/११७/2023


दिनांक :- २१.05.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय - प्र. स. १७७/23 अनवान जयराम पिता मोहन मीणा नि. ओडियाखेडा बनाम गणपत नाथ पिता सोनाथ नाथ, दिनेश पिता रामस्वरूप मीणा, झंवर पिता कान्हा मीणा, छोटू पिता कल्याण मीणा, अम्बालाल पिता मोहन मीणा, कालू पिता प्रभु मीणा, अमरसिंह पिता देवाराम मीणा, रामराज पिता हीरा मीणा, राजू पिता सूखा मीणा, सुवा पिता नन्दा मीणा, कल्याण पिता धन्ना मीणा, राकेश पिता रामस्वरूप मीणा, सोजी पिता हजारी मीणा, गोपाल पिता हजारी मीणा नि. ओडियाखेडा वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम ओडियाखेडा प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 656/526 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आ.न. 332 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आ.न. 574/465 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, आ.न. 628/465 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आ.न. 472/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आ.न. 530/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर आ.न. 531 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, आ.न. 228 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आ.न. 231 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आ.न. 380 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, आ.न. 543/522 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, तथा आ.न. 206/3, 214/5, 217/2, 218/2, 232/2, 242/2, 256, 256, 258/2, 331/2, 45122, 452, 575/465, 686/432 कुल किता 13 रकबा 3.1808 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)